

1. प्रभारी, औद्योगिक (1)
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/अधिशापी अभियन्ता
उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,

संदर्भ संख्या 491(11)/एसआईडीसी/यूपीसीडा

दिनांक 09/3/18

विषय: यूपीसीडा के अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्डों के संविलियन प्रस्तावों में संविलियन शुल्क के समन्वय में।

महोदय,

कृपया उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के समस्त अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में प्राधिकरण की विकास योजनाओं/डीम्ड विकास योजनाओं में विकसित औद्योगिक भूखण्डों के संविलियन हेतु प्राधिकरण के निर्देशों समन्वयी अधोहस्ताक्षरी के पत्र सं० 132-163/एसआईडीसी/यूपीसीडा दिनांक 18.07.2017 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की दिनांक 29.01.2018 को सम्पन्न 28वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्राधिकरण के समस्त अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन की दशा में भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 में निर्धारित संविलियन शुल्क में छूट प्रदान करते हुये भूखण्डों का संविलियन निःशुल्क अनुमन्य किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है:-

- 1 उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० की Operating Manual-2011 के अध्याय-2 में औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया/दिशा-निर्देशों में किये गये प्रावधान "Wherever the allotment is made by joining plots, the plots would be considered amalgamated. Normally the application for the size of individual plot shall hold precedence (preference) over the combined allotment. The case of application for combined plots can be only considered with specific reasons justifying such consideration and shall be got duly and separately approved from Head Office" के अनुसार प्राधिकरण में संविलियन शुल्क लागू करने की तिथि 29.05.2017 के पूर्व आवंटित किये गये हों।

निगम द्वारा उपरोक्तानुसार आवंटित भूखण्डों को उद्यमियों द्वारा एक ही औद्योगिक परियोजना की स्थापना के लिए औद्योगिक प्रयोजन हेतु अनुमन्य किया गया हो एवं आवंटि द्वारा एक ही औद्योगिक परियोजना हेतु उपयोगित किया गया हो।


उपरोक्तानुसार आवंटित भूखण्डों के किसी भी भू-भाग को आवंटि द्वारा हस्तांतरित किया जाना अनुमन्य नहीं होगा जब तक कि प्राधिकरण के उप विभाजन हेतु निर्धारित योजना मानकों के अनुसार संदर्भित भू-भाग का नये भूखण्ड के रूप में सृजन अनुमन्य न कर दिया गया हो।

2

क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले यूपीसीडा के अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों के प्रचलित तालपट मानचित्र/विकास योजना में दर्शाये गये औद्योगिक मूखण्डों के संविलियन प्रस्ताव में उपरोक्तानुसार संविलियन शुल्क में छूट हेतु परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों को पात्रता से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों सहित स्पष्ट संस्तुति करते हुए औ०क्षे० अनुभाग, मुख्यालय के माध्यम से मुख्य कार्यपालक अधिकारी-यूपीसीडा के अनुमोदनार्थ संविलियन प्रस्ताव योजना सुनिश्चित करें। प्राधिकरण की दिनांक 29.01.2018 को सम्पन्न 28वीं बैठक की कार्यवृत्त संदर्भ हेतु संलग्न है।

भवदीय,

संलग्नक: यथोक्त।



(पंकज पाण्डेय)

वरि० प्रबन्धक(परि०) एवं प्रभारी-यूपीसीडा

संदर्भ संख्या

/एसआईडीसी/यूपीसीडा

दिनांक

प्रतिलिपि: प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(पंकज पाण्डेय)

वरि० प्रबन्धक(परि०) एवं प्रभारी-यूपीसीडा